

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलेक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

दयानंद रुयल (आर.ए.एस.)

नीटारसीन अधिकारी :-

राजस्व वाद सं.- 20/2017

निर्णय दिनांक :- 05-10-2023

सुलतान बनाम मूंगली वगै०

दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री मूलचन्द शर्मा एड० तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री राजकुमार एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.10.2023 को दयानंद रुयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख०न० 234 रकबा 2.92 है०, ख०न० 235 रकबा 0.90 है०, ख०न० 236 रकबा 0.52 है०, ख०न० 238 रकबा 0.12 है० व ख०न० 239 रकबा 1.00 है० स्थित राजस्व ग्राम ढंढार तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/2023/1032 दिनांक 18.07.2023 एवं राजीनामा के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव एवं राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार पिलानी को ख०न० 234/3 रकबा 0.38 है० पर रहन का नोट हटाया जाकर उक्त रहन का नोट प्रतिवादी महावीर के हिस्से में आई भूमि ख०न० 234/1 रकबा 2.22 है० पर शिफ्ट कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
पदेन उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ